८
४ २२

आज यह पत्रावली प्रार्थिया अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र मूलवाद मे पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया गया कि उक्त मानवान प्रकरण मे दोनो पक्षो का राजीनामा हो गया है प्रार्थिया उक्त प्रकरण को आगे नही चलाना चाहती। प्रार्थिया अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाकर दिनांक २०/०४/२०२० को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा भी निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Heard
counsel
Advocate

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:18:15 IST
Reason: SelfAttested